पत्रांक – 8/सू०अ० 15–12/09 (I) का०– 9420

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी
मुख्य सचिव
बिहार, पटना

सेवा में,

प्रधान सचिव, गृह विभाग
आरक्षी महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक– 18.9.09

विषयः सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदकों को गलत मुकदमों में फँसाये जाने तथा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में पत्रांक 12433, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना माँगने वाले आवेदकों को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत फँसाने अथवा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की जाँच करायी जायेगी और दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जायेगी। फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कतिपय अधिकारी इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तथा सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदकों के विरुद्ध भा०द०वि० के अन्तर्गत भी झूठे मुकदमे दर्ज कराये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है।

2. सूचना का अधिकार राज्य की जनता का एक लोकतांत्रिक अधिकार है तथा जनसाधारण के सशक्तीकरण, प्रशासन में पारदर्शिता तथा सुशासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी अस्त्र है। अतः सरकारी पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे सूचना माँगने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हुए सूचना उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका निभायें। इसके विपरीत आचरण करने वालों को कर्त्तव्य की उपेक्षा करने तथा कदाचार में लिप्त होने का दोषी माना जायेगा जिसके लिए विभागीय कार्यवाही एवं वृहद् दण्ड भी दिया जा सकेगा।

3. सूचना माँगने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे आपराधिक मुकदमे दायर करने के समचारों को सरकार ने अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि इस संबंध में प्राप्त प्रत्येक शिकायत की वरीय अधिकारियों से जाँच करायी जायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध गंभीरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

IX
335

4. इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गृह विभाग के द्वारा एक हेल्प लाईन स्थापित की जायेगी जिसका टेलीफोन नं० प्रेस तथा अन्य माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए उपरोक्त प्रकार के झूठे मुकदमों से पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत दर्ज करने का अवसर दिया जायेगा जिस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
5. उपरोक्त परिस्थिति में अनुरोध है कि इस विषय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
अमु 19/9/09
(अनूप मुखर्जी)
मुख्य सचिव
बिहार, पटना